ग्रेटर नोएडा औद्यौगिक विकास प्राधिकरण
प्लॉट नं0 01, सैक्टर नॉलेज पार्क-4,
ग्रेटर नोएडा

पत्रांक : ग्रेनो/बिल्डर्स/2023/ 549
दिनांक : 4 सितम्बर, 2023

सेवामें,

M/s Comely Buildtech India (P) Ltd.,
B-1/504, Vasundhra Enclave, Satyam Appartments,
DELHI – 110 096

महोदय,

कृपया प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के आदेश संख्या 2531/77-4-23-2463/20 दिनांक 27.04.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा M/s Comely Buildtech India (P) Ltd., भूखण्ड संख्या जीएच-11बी, सैक्टर 01 के सापेक्ष जारी निरस्तीकरण आदेश दिनांक 19.05.2017 के विरूद्ध सुनवाई उपरान्त आदेश पारित किये गये हैं, जिसका मुख्य अंश निम्नानुसार है:-

"दोनों पक्षों को सुना गया, सुनवाई के समय पुनरीक्षणकर्ता कम्पनी तथा प्राधिकरण के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं अभिलेखों के सम्यक परिशीलन एवं विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रकरण में यह बात सिद्ध हो रही है कि प्राधिकरण के स्तर पर निर्विवादित कब्जे के सम्बन्ध में यह पूर्णतः सिद्ध नहीं किया जा सका कि निरस्तीकरण से पूर्व पुनरीक्षणकर्ता को प्लॉट पर कब्जा दिया जा चुका था । जहॉ तक बकाया की बात है पुनरीक्षणकर्ता द्वारा कहा गया कि वह धनराशि जमा करने को तैयार है । अतः समस्त तथ्यों की विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रकरण में भूखण्ड निरस्तीकरण का आदेश दिनांक 19.05.2017 पूर्णतः मेरिट पर आधारित नहीं था । अतः प्राधिकरण को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रश्नगत भूखण्ड को पुनरीक्षणकर्ता के पक्ष में पुनर्स्थापित करते हुऐ आदेश प्राप्ति के 10 दिन के अंदर पुनरीक्षणकर्ता को समस्त अति देयकों की गणना (प्रीमियम, लीजरेंट, समय विस्तरण शुल्क एवं पुनर्स्थापना शुल्क आदि) से अवगत कराएं । पुनरीक्षणकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वो 15 दिन के भीतर 35 करोड़ रूपये प्राधिकरण में बकाया के सापेक्ष जमा करें और शेष धनराशि प्राधिकरण के पास सूचना प्राप्त होने के एक माह के अंदर या 31 मई, 2023 जो भी बाद में हो, के भीतर जमा करें । यदि पुनरीक्षणकर्ता ऐसा करने में असफल रहता है तो यह आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं प्राधिकरण को निरस्तीकरण सम्बन्धी आदेश दिनांक 19.05.2017 प्रभावी हो जायेगा ।"

उपरोक्त क्रम में आपसे प्राधिकरण के पत्र संख्या 26.05.2023 के माध्यम से जमा कराने हेतु सूचित धनराशि तथा आपके द्वारा जमा कराई गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:-

Scanned with CamScanner

देय धनराशि एवं तिथि	जमा धनराशि एवं तिथि
प्रीमियम के मद में दिनांक 31.05.2023 तक आगणित अतिदेय धनराशि रू0 54,25,60,417/–	प्रीमियम के मद में आदेश की तिथि दिनांक 27.04.2023 से 15 दिनों के भीतर अर्थात दिनांक 10.05.2023 को रू0 35,00,00,000/– तथा अवशेष धनराशि रू0 19,25,60,417/– दिनांक 30.05.2023 को, कुल धनराशि रू0 54,25,60,417/– जमा कराई गई है ।
अतिरिक्त प्रतिकर के मद में दिनांक 31.05.2023 तक आगणित अतिदेय धनराशि रू0 6,94,94,636/–	अतिरिक्त प्रतिकर के मद में रू0 6,94,94,636/– दिनांक 30.05.2023 को जमा कराये गये हैं ।
वार्षिक लीजरेंट के मद में दिनांक 31.03.2023 तक आगणित अतिदेय धनराशि रू0 2,52,42,915/–	वार्षिक लीजरेंट के मद में रू0 2,52,42,915/– दिनांक 30.05.2023 को जमा कराये गये हैं ।
निर्माण/कार्यपूर्ति हेतु विलम्ब शुल्क के मद में दिनांक 31.05.2023/19.12.2023 तक देय धनराशि रू0 1,96,50,893/– ।	समय विस्तरण शुल्क के मद में रू0 1,96,50,893/– दिनांक 30.05.2023 को जमा कराये गये हैं ।
पुनर्स्थापना शुल्क के मद में आगणित धनराशि रू0 7,13,34,270/–	रिस्टोरेशन चार्जिज रू0 7,13,34,270/– दिनांक 31.05.2023 को जमा कराये गये हैं ।

अतः आपके द्वारा उपरोक्तानुसार धनराशि जमा कराये जाने के फलस्वरूप बिल्डर्स भूखण्ड संख्या जीएच–11बी, सैक्टर 01, क्षेत्रफल 14769 वर्गमीटर को आपके पक्ष में पुनर्स्थापित किया जाता है । शेष नियम व शर्तें लीजडीड दिनांक 30.06.2014 एवं ब्रोशर की नियम व शर्तो के अनुरूप ही रहेंगी । यहाँ यह भी अवगत कराना है कि आपके द्वारा दिनांक 31.03.2023 तक ही वार्षिक लीजरेंट जमा कराया गया है । दिनांक 31.03.2023 के पश्चात का प्रत्येक वर्ष का वार्षिक लीजरेंट नियमानुसार तब तक जमा कराया कराना होगा, जबतक कि आपके द्वारा एकमुश्त लीजरेंट जमा नहीं करा दिया जाता ।

भवदीया

Aradhana 4/9/23

(आराधना)
प्रबन्धक (बिल्डर्स)

प्रतिलिपिः–

1. महाप्रबन्धक (वित्त), ग्रेटर नोएडा को अवलोकनार्थ प्रेषित ।
2. महाप्रबन्धक (परियोजना), ग्रेटर नोएडा को अवलोकनार्थ प्रेषित ।

प्रबन्धक (बिल्डर्स)

Scanned with CamScanner